

अनुदान संख्या 67 - नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
GRANT No. 67 - MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

| | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving - |
|------------------------------|------------------------------------|---|--|------------------|
| | | (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees) | | |
| राजस्व: | Revenue: | | | |
| स्वीकृत - | Voted- | | | |
| मूल | Original | 955,20,00 | | |
| | | | 955,22,00 | 941,53,47 |
| | | | | -13,68,53 |
| पूरक | Supplementary | 2,00 | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | 5,55,00 |
| पूंजीगत: | Capital: | | | |
| स्वीकृत - | Voted- | | 53,30,00 | 53,27,33 |
| | | | | -2,67 |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | शून्य Nil |

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ :-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | | |
|------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|
| मुख्य शीर्ष "2552" | Major Head "2552" | | | |
| उत्तर पूर्वी क्षेत्र | North Eastern Areas | | | |
| मू. | O. | 10000.00 | | |
| | | | 0.56 | .. |
| | | | | -0.56 |
| पु. | R. | -9999.44 | | |
| मुख्य शीर्ष "2810" | Major Head "2810" | | | |
| नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा | New and Renewable Energy | | | |
| मू. | O. | 81140.00 | | |
| पू. | S. | 2.00 | 89406.44 | 88860.10 |
| | | | | -546.34 |
| पु. | R. | 8264.44 | | |

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत-
Saving -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|
| मुख्य शीर्ष "3601" | Major Head "3601" | | | |
| राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | Grants-in-aid to State Governments | | | |
| मू. | O. | 2090.00 | 3120.00 | 3116.16 |
| पु. | R. | 1030.00 | | |
| | | | | -3.84 |

(I) ₹10170.00 लाख का प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹10000.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(I) Provision of ₹10170.00 lakhs remained wholly unutilised under seven heads; of these ₹10000.00 lakhs accounted for under Major Head "2552"- under the following heads:-

(का) "नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा - ग्रिड अंतःक्रिया और वितरित नवीकरणीय विद्युत"-

(A) "New and Renewable Energy-Grid Interactive and Distributed Renewable Power"-

(क) "ग्रिड अंतःक्रिया नवीकरणीय विद्युत"- ₹7000.00 लाख;

(a) "Grid Interactive Renewable Power"- ₹7000.00 lakhs;

(ख) "ग्रिड से पृथक/वितरित और विकेंद्रीकृत नवीकरणीय विद्युत" - ₹2300.00 लाख;

(b) "Off-Grid/Distributed and Decentralized Renewable Power"- ₹2300.00 lakhs;

(खा) "नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा - ग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा" -

(B) "New and Renewable Energy- Renewable Energy for Rural Applications"-

(क) "दूरस्थ गावों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा" - ₹500.00 लाख; और

(a) "Renewable Energy for Remote Villages"- ₹500.00 lakhs; and

(ख) सभी गावों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा" - ₹200.00 लाख।

(b) "Renewable Energy for all Villages"- ₹200.00 lakhs.

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above four heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष “2810” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(का) “शहरी, औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा - एसटी, एसपीवी और अन्य आरई प्रणालियाँ” - ₹311.57 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य नोडीय अभिकरणों और अन्य संगठनों से पर्याप्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) “नवीकरणीय ऊर्जा में अनुसंधान, डिजाइन और विकास”-

(क) “नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास” - ₹3437.85 लाख की बचत (₹12600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने और परियोजना कार्यान्वयन संगठन द्वारा ज्वार-भाटा परियोजना के लिए निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) “अनुसंधान संस्थाएं/केंद्र (एमएनआरई संस्थाओं: एसईसी, सी-डब्ल्यूईटी, एनआईआरई सहित)”- ₹215.29 लाख की बचत (₹1870.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेशी पूर्तिकर्ता से उपस्कर के प्राप्त न होने की वजह से विदेशी साखपत्र का प्रतिस्हरण किए जाने के कारण हुई।

(गा) “सहायक कार्यक्रम” -

(क) “अंतर्राष्ट्रीय संबंध” - ₹105.87 लाख की बचत (₹700.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाण-पत्रों और व्यय विवरण एवं वाउचरों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) “बाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाएं” - ₹255.00 लाख की बचत (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) यूएनडीपी/जीईएफ बायोमास विद्युत परियोजना और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति यूएनडीपी पहुंच के अंतर्गत माडल निवेश परियोजनाओं की स्थापना संबंधी प्रस्तावों के विकास और उन्हें अंतिम रूप देने में विलम्ब होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head “2810” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Renewable Energy for Urban, Industrial and Commercial Applications - ST, SPV and Other RE Systems” – saving of ₹311.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to non-receipts of sufficient proposals from state nodal agencies and other organizations.

(B) “Research, Design and Development in Renewable Energy”-

(a) “R&D in New and Renewable Energy Technologies” – saving of ₹3437.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12600.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals and non-finalisation of tender for tidal energy project by the project executing organization.

(b) “Research Institutions/Centres (Including MNRE Institutions: SEC, C-WET, NIRE)”- saving of ₹215.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1870.00 lakhs) was due to revoking of foreign letter of credit owing to non-receipt of equipment from the foreign supplier.

(C) “Supporting Programmes”-

(a) “International Relations” – saving of ₹105.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹700.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates and statement of expenditures and vouchers.

(b) “Externally Aided Projects” – saving of ₹255.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs) was due to delay in developing and finalizing the proposals for establishment of Model Investment Projects (MIPs) under UNDP/GEF Biomass Power Project and UNDP Access to Clean Energy (ACE).

- (ग) “निगरानी/मूल्यांकन और अन्य अध्ययन” - ₹321.94 लाख की बचत (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजनाओं और अध्ययनों के कार्यकलापों में धीमी प्रगति होने के कारण हुई।
- (c) “Monitoring/Evaluation and other Studies”- saving of ₹321.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs) was due to slow progress in activities of projects and studies.
- (III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹73.84 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 82 प्रतिशत थी।
- (III) Under one head saving of ₹73.84 lakhs occurred constituting 82 percent of the sanctioned provision.
- 2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹12380.51 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष “2810” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत नवम्बर, 2010 और मार्च, 2011 में ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :-
- 2.(I) The above savings were partly (₹12380.51 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in November, 2010 and March, 2011 under Major Head “2810” – under the following heads:-
- (का) “ग्रिड अंतःक्रिया और वितरित नवीकरणीय विद्युत” -
- (A) “Grid Interactive and Distributed Renewable Power”-
- (क) “ग्रिड अंतःक्रिया नवीकरणीय विद्युत” - ₹6149.43 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹6128.81 लाख था।
- (a) “Grid Interactive Renewable Power”- ₹6149.93 lakhs. Actual excess, however, was ₹ 6128.81 lakhs.
- (ख) “ग्रिड से पृथक/वितरित और विकेंद्रीकृत नवीकरणीय विद्युत” - ₹2079.58 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1929.95 लाख था।
- (b) “Off-Grid/Distributed and Decentralized Renewable Power”- ₹2079.58 lakhs. Actual excess, however, was ₹ 1929.95 lakhs.
- (खा) “ग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा - सभी गांवों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा” - ₹2100.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2099.00 लाख था।
- (B) “Renewable Energy for Rural Applications- Renewable Energy for all Villages”- ₹2100.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2099.00 lakhs.
- (गा) “शहरी, औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा - सौर ताप प्रणालियां - सौर जल तापन” - ₹1500.00 लाख।
- (C) “Renewable Energy for Urban, Industrial and Commercial Applications-Solar Thermal Systems-Solar Water Heating”- ₹1500.00 lakhs.
- (घा) “सहायक कार्यक्रम” -
- (D) “Supporting Programmes”-
- (क) “सूचना, प्रचार और विस्तार” - ₹316.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹279.48 लाख था।
- (a) “Information, Publicity and Extension”- ₹316.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹279.48 lakhs.

(ख) “मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण”- ₹235.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹192.43 लाख था।

(b) “Human Resource Development and Training”- ₹235.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹192.43 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष “2810” - “ग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा - सुदूर गांवों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा” - ₹417.03 लाख का अधिक व्यय (₹7500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ

(A) Major Head “2810” - “Renewable Energy for Rural Applications – Renewable Energy for Remote Villages” – excess of ₹417.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7500.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष “3601” - “केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - नवीन और नवीकरणीय - ग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा - सभी गांवों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा” - ₹1100.00 लाख का अधिक व्यय (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा दिए गए अनुमोदन के आधार पर केंद्रीय वित्तीय सहायता के अंतर्गत राज्यों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(B) Major Head “3601” - “Grants for Central Plan Schemes - New and Renewable -Renewable Energy for Rural Applications - Renewable Energy for all Villages” - excess of ₹1100.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for States under Central Financial Assistance based on approval given by the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA).